उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

२-५-२१ | इसी मामले में प्रार्थी उपस्थित। मूल दावा आदेश डिक्री किया जाता है अब प्रार्थी द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली कैलाश [illegible] कुमार केस नम्बर में दर्ज की गई अब तामील जारी मूल दावा से सम्बन्ध है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:25:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner